फाइल नं0-71-1001(099)/168/2021

संख्या-72/2024/I/529322/2024

प्रेषक,

ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनॉक 27 मार्च, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में बर्न यूनिट के निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2023-24/863, दिनांक 30.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में बर्न यूनिट के निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत रू0 431.21 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 53.31 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4210-03-105-74-राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा तथा प्रयागराज में बर्न यूनिट की स्थापना हेतु मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में बर्न यूनिट के निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि **रू0 53.31 लाख (रू0 तिरपन लाख इकतीस हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनॉक 17.03.2023 (यथा संशोधित) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या-37/2019/515/71-1-2018-जी-388/2013, दिनांक 08.03.2019 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 53,31,000 (रुपये तिरपन लाख इकतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031057400 राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा तथा प्रयागराज में बर्न यूनिट की स्थापना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।